भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 402

उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

स्कूल फीस का विनियमन

***402. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसादः**

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देश में स्कूल फीस के विनियमन के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

स्कूल फीस का विनियमन के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद और श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा दिनांक 22.07.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 402 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उललिखित अनुबंध

(क) और (ख): शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अत: स्कूलों में फीस और उसके संघटकों से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। सरकार ने एक नई शिक्षा नीति (एनईपी) को तैयार करने में विस्तृत प्रक्रिया शुरू की है और डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा एनईपी समिति ने 31 मई, 2019 को मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मसौदा एनईपी 2019 को सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर और साथ ही innovate.mygov.in मंच पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्रालय में जनता, भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, माननीय सांसदों, संगठनों आदि सहित विभिन्न हितधारकों से शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हो रही हैं। सरकार, सभी हितधारकों की प्रतिक्रियाओं/सुझावों और टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।

(ग): जी, नहीं।

*****